



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072021-228646
CG-DL-E-31072021-228646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2857]
No. 2857]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2021

का.आ. 3079(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हुब्बल्ली धारवाड़ बाईपास NH48 के किमी 402.600 किमी. से 433.000 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में हुब्बल्ली धारवाड़ बाईपास रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH48 के किमी. 402.600 किमी. से 433.000 किमी. तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल लैंड एक्जीजीशन	राष्ट्रीय राजमार्ग	कर्नाटक	धारवाड़	धारवाड़	1

राजेश गुप्ता, निदेशक